मुख्यमंत्री नि

# राजस्थान–सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं0 : 0141–2224878 ई–मेलः rmsc.mr

एफ04( )एमएनजेवाई/2015–16/ 542 दिनांक 10.12.15

समस्त संयुक्त निदेशक जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

**विषयः–मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनान्तर्गत प्रयोगशाला/रेडियोलोजी विभागों में प्रभारी नियुक्त करने के क्रम में।**

**संदर्भः–श्रीमान शासन उपसचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग के पत्रांक वनिस/शाउस/चिस्वा/ग्रुप–2/2015 दि0 04.12.15 के क्रम में।**

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत राज्य के चिकित्सा संस्थानों की प्रयोगशालाओं व रेडियोलोजी विभागों में कार्यरत पैथोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट एवं चिकित्सा अधिकारियो को प्रथम प्रभारी एवं द्वितीय प्रभारी नियुक्त करने हेतु आदेशित किया गया था।

इसके पश्चात इन प्रयोगशालाओं व रेडियोलोजी विभागों के सफल संचालन हेतु समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किये गये है। इसी क्रम में जांच योजना अन्तर्गत वित्त विभाग से अनुमोदित गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत इन विभागों में नियमित चिकित्सकों/स्टाफ के अभाव में नीड बेस के आधार पर गाइडलाइन व लेबर एक्ट के अनुसार अधिकारियों/कार्मिकों को रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है, इसके पश्चात भी मुख्यालय की प्रयोगशालाओं में कार्मिकों की कमी के संबंध में प्रकरण प्राप्त हो रहे है।

अतः इस संबंध में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के सफल संचालन व गुणवत्ता हेतु चिकित्सालयों में कार्यरत अथवा स्थानान्तरण होने व इसके पश्चात, पदस्थापित चिकित्सकों व कार्मिकों के क्रम में निम्न प्रकार कार्यवाही अविलम्ब की जावें।

1. प्रयोगशाला/रेडियोलोजी विभाग में कार्यरत पैथोलॉजिस्ट/रेडियोलोजिस्ट को प्रथम प्रभारी नियुक्त किया जावे।
2. इनकी अनुपस्थिति में इन विभागों के कार्यो को किये जाने हेतु चिकित्सालय में कार्यरत अन्य चिकित्सक को द्वितीय प्रभारी नियुक्त किया जावें।
3. यदि चिकित्सालय में नियमित चिकित्सक कार्यरत नहीं है तो जांच योजना की गाइडलाइन के अनुसार अविलम्ब पैथोलॉजिस्ट/रेडियोलॉजिस्ट कार्य पर लिये जावें।
4. विभागों में नियमित पैरामेडिकल स्टाफ की सूचना भी उपलब्ध करावें। यदि उपरोक्त कार्मिको का अभाव है तो भी गाइडलाइन /लेबर एक्ट के अनुसार तुरन्त इनको लिया जावें। जिसकी सूचना भी इसी कार्यालय में भिजवायें।
5. साथ ही यदि इन विभागों में अपरिहार्य कारणों से इन चिकित्सकों का अभाव रहता हैं तो इन विभागों में कार्यरत लैब टेक्निशियन/रेडियोग्राफर के द्वारा जारी रिपोर्टो के अवलोकन हेतु चिकित्सालय में अन्य किसी विशेषज्ञ को तुरन्त प्रभाव से रिपोर्टो के अवलोकन हेतु प्रभारी नियुक्त किया जावें जिसकी सूचना भी इस कार्यालय को भिजवायें ताकि इन विभागों का सफल संचालन किया जा सकें।

उक्तानुसार कार्यवाही कर आज ही रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को ईमेल **rmsc.mnjy@gmail.com** पर भिजवानें का श्रम करावें।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

**प्रतिलिपि :**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर